

पत्रांक

निदेशक,
अभियान एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

100

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
मन्द सोलर अकादमी राष्ट्रीय औद्योगिक परिश्रम केंद्र,
सिमिल लार्डन
बलिया।

पत्रांक: 803 / टी-3/रा090/भा0सं0संस्तुति लखनऊ दिनांक: 1-3-12 2012
विषय- स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/गुणियों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय लखनऊ एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निम्न की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में : आपको सूचित किया जाता है कि आपके केंद्र की स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24-05-2012 पर दिनांक 28-06-2012 को महानिदेशालय सेवाकेंद्र एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उप निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका पदार्थ यान्त्रिकीय तौर पर अटिच किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुबंध किया गया।	संस्तुति की गयी		अनुसूची
		स्थायी समिति द्वारा	डी0जी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician Addl. 01 Units		Addl.one unit Total 3(1+1+1)	DIR-24/05/12 w.e.f. Aug.2012
2-	Fitter Addl. 01 Units		Addl.one unit Total 3(1+1+1)	
DGET-6/24/91/2009-TC DATED 28/06/2012				

प्रयोग किये गये संकेत-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचारार्थीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतार्ई गई कमियों/डुटियों का निराकरण समयान्तगत करते अपनी आख्या विन्दुवार साध्य शक्ति दो प्रतियों में इस निदेशालय को 3 विलम्ब प्रेषित करें; ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान को कांश्चित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों को प्रशिक्षार्थियों को आगामी अधिन भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/विशु)

तद्विनायित

पत्रांक: 803 / टी-3/रा090/भा0सं0संस्तुति/

1. प्रतिनिधि/निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/विशु)वास्तविकी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यतिगत पत्रावली हेतु।
3. मई फाइनल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद, अलीगढ़, लखनऊ।

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/विशु)

Principal

Chandrabh...